



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

दिनांक 02.05.2024

कार्यालय ज्ञापन सं 51/2024

अधोहस्ताक्षरी को ईएचएस अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां संलग्न करने का निदेश दिया गया है, जो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके ईमेल दिनांक 24.04.2024 द्वारा विधिवत अंग्रेषित किया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है टी बोर्ड के सभी अधिकारियों को सीजीएचएस के तहत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रस्तुत करना होगा:

1. सीजीएचएस निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एच.11020/2/2023-ईएचएस दिनांक 26.07.2023।
2. ईएचएस अनुभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एस.14025/15/2024-ईएचएस दिनांक 28 मार्च, 2024।

उक्त विकल्प जमा करते समय, उनसे स्पष्ट रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुनें और 15.05.2024 के भीतर अपनी निर्भरता और आवासीय पते का प्रमाण भी जमा करें।

(आशीष देब)

सहायक सचिव (प्र)

संगलग्न: यथाकथित.

वितरण:-

|    |                                                                             |                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष व सचिव को छोड़कर) | इस अनुरोध सहित कि कार्यालय ज्ञापन की सामग्री को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के बीच लाने के अनुरोध सहित। |
| 2  | कार्यपालक निदेशक, कूनूर व गुवाहाटी                                          |                                                                                                              |
| 3  | उ.नि.चा.वि, सिलिगुड़ी/पालमपूर एवं वि.अ. (उ.प.भा), नई दिल्ली                 |                                                                                                              |
| 4  | वि.स.एवं मु.ले.अ.                                                           |                                                                                                              |
| 5  | बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय                                |                                                                                                              |
| 6  | उपाध्यक्ष/सचिव के नि.सह                                                     |                                                                                                              |
| 7  | सचिवालय शाखा                                                                |                                                                                                              |
| 8  | आई.टी. खक्ष                                                                 | टी बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित                                                             |
| 9  | टी.बी.इ.ए.                                                                  |                                                                                                              |
| 10 | स्थापना शाखा                                                                | अतिरिक्त प्रतियाँ सहित                                                                                       |

संदर्भ सं.22(चिकि)/स्था/90/पी-III/